दिनांक 07, 08–मई,2018 को निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा), उ0प्र0 की अध्यक्षता में सूडा/डूडा के माध्यम से संचालित योजनाओं की मासिक समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

सूडा के पत्रांक– 424/110/तीन/97–VII दिनांक 04–05–2018, द्वारा निर्गत पत्र के माध्यम से दिनांक 07, 08–मई,2018 को समस्त जनपदों के परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारियों, शहर मिशन प्रबन्धकों एवं सिविल–इंजीनियर (सी.एल.टी.सी.) के साथ सूडा द्वारा संचालित योजनाओ– राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना(शहरी) तथा अन्य सभी योजनाओं की जनपदवार विस्तृत समीक्षा की गयी। समीक्षा बैठक का बिन्दुवार कार्यवृत्त निम्नवत् है :–

दीनदयाल अन्त्योदय योजना– राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM)

दीनदयाल अन्त्योदय योजना –राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया गया कि सभी शहर सभी घटकों में लक्ष्य पूर्ण किये जाने हेतु रणनीति निर्धारण कर माह के लक्ष्य से 10–20 प्रतिशत अधिक लक्ष्यों की पूर्ति प्रत्येक माह करें, ताकि वित्तीय वर्ष समाप्ति से पूर्व ही आसानी से लक्ष्य की प्राप्ति की जा सके।

SM&ID- सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास के अन्तर्गत समूह गठन के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया कि भारत सरकार द्वारा पूर्व में निर्गत संशोधित गाइडलाइन के अनुसार सी0आर0पी0 रणनीति पर एस0एच0जी0 का गठन कराया जाय। पूर्व में गठित समूहों मे से सक्रिय एवं इच्छुक महिलाओं को सी0आर0पी0 के रूप में चिन्हित किया जाये तथा उन्हें प्रशिक्षित कर सी0आर0पी0 बनाया जाये। ए0एल0एफ0 एवं समूहों को आय सृजनात्मक कार्यो से सम्बद्ध किया जाय, महिलाओं की आय बढ़ाने हेतु कार्य किया जाय तथा जनपद हेतु निर्धारित "एक जनपद एक उत्पाद" से भी समूहों को जोड़ा जाये।

इस घटक के अन्तर्गत शहरों में संचालित शहरी आजीविका केन्द्र (CLC) को बेहतर ढ़ंग से संचालित किये जाने के सम्बन्ध मे भी पुनः निर्देशित किया गया कि CLC में पंजीकरण तेजी से कराया जाये तथा प्रचार–प्रसार के माध्यम से पंजीकृत व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराते हुए सी0एल0सी0 को आत्म निर्भरता की ओर ले जाया जाये। उक्त के साथ ही सी0एल0सी0 में अच्छे समूहो के उत्पाद की गुणवत्ता को बेहतर बनाये जाने हेतु तकनीकी सहायता प्रदान कर समूहो को भी सी0एल0सी0 में पंजीकृत करें तथा समूहों द्वारा उत्पादित उत्पादों की बिक्री सी0एल0सी0 के माध्यम से कराना सुनिश्चित करायें। समूहों के उत्पादों की बिक्री विभिन्न ऑनलाइन माध्यमों जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ड, होम शॉप, शॉप 18 आदि से सम्पर्क कर समन्वयन के माध्यम से भी बिक्री कराना सुनिश्चित करें।

SUH- शहरी बेघरों हेतु आश्रय योजनान्तर्गत अवगत कराया गया है कि मा0 उच्चतम न्यायालय के अन्तरिम आदेशों के अनुपालन में प्रदेश के सभी शहरी निकायों में शहरी बेघरों का थर्ड पार्टी सर्वेक्षण का कार्य गिरी विकास अध्ययन संस्थान लखनऊ द्वारा पूर्ण कर लिया गया है। गिरी विकास अध्ययन संस्थान द्वारा कतिपय निकायों के सर्वेक्षण की अन्तरिम आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है, जो लोकेशनवार है। उक्त आख्या सम्बन्धित शहरों को शीघ्र ही ई–मेल के माध्यम से उपलब्ध करा दी जायेगी, जिसकी पुष्टि सम्बन्धित शहरों के परियोजना अधिकारी/सी0एम0एम0 द्वारा करके तत्काल आख्या एस0यू0एल0एम0, सूडा उ0प्र0 को उपलब्ध करायी जानी है। उक्त के साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि सभी परियोजना अधिकारी जनपद की सभी निकायों से जोन एवं वार्डवार मुहल्लों की सूची प्राप्त कर इस कार्यालय को उपलब्ध करा दें, इसमें किसी भी प्रकार का विलम्ब न हो।

संचालित सभी शेल्टर होम (NULM & Non NULM) की शेल्टर प्रोफाइल MIS, SULM को तत्काल निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराकर यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि शहर में संचालित NULM एवं नगर निगमों के सभी शेल्टर होम की प्रोफाइल GOI के पोर्टल पर अपलोड हो गयी है।

EST&P- घटक के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि पूर्व में घटक के अन्तर्गत प्रशिक्षित एवं प्लेसमेन्ट पाये सभी लाभार्थियों की सुचारू रूप से ट्रैकिंग करके आख्या उपलब्ध करायी जाय। ट्रैकिंग में लाभार्थी से वार्ता एवं भौतिक सत्यापन भी किया जाय। इस सम्बन्ध मे यह भी निर्देशित किया गया कि शहर मिशन प्रबन्धक द्वारा शत–प्रतिशत सेवायोजन के लाभार्थियों का सत्यापन किया जाये तथा पी0ओ0/ए0पी0ओ0 द्वारा भी 15–20 प्रतिशत सेवायोजित लाभार्थियों का सत्यापन किया जाये। सत्यापन के लाभार्थियों का समस्त विवरण रजिस्ट्रर पर अंकित किया जाये तथा जिस अधिकारी द्वारा सत्यापन किया जाये उसके हस्ताक्षर भी रजिस्ट्रर पर किये जाये। तत्पश्चात् ही भुगतान की कार्यवाही की जाये।

सेवायोजित किये गये प्रशिक्षार्थियों की 12 माह की ट्रैकिंग से संबंधित प्रपत्र MIS पर अपलोड नही किये जा रहे है जोकि अत्यन्त खेद जनक है। अतः सभी शहरों को निर्देशित किया जाता है कि सेवायोजित किये गये सभी प्रशिक्षार्थियों के 12 माह की ट्रैकिंग से संबंधि प्रपत्र MIS पर अपलोड किये जाये और हार्ड कॉपी में संस्थावार CMMU/DUDA पर संकलित किया जाये।

SUSV- DAY-NULM के घटक शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता योजना (SUSV) के अन्तर्गत शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता उपलब्ध कराया जाना मा0 मुख्यमंत्री जी के प्राथमिकता कार्यक्रमों में सम्मिलित है जिसकी निरन्तर समीक्षा शासन द्वारा की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2015–2016 में शहरी पथ विक्रेता प्लान तैयार किये जाने वाले 14 शहरों (सहारनपुर, मेरठ, वाराणसी, फिरोजाबाद, मुजफ्फरनगर, लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़, गोरखपुर, इलाहाबाद, गाजियाबाद, मुरादाबाद, झांसी एवं आगरा) में शहरी पथ विक्रेता प्लान तैयार किये जाने हेतु एजेन्सी का अनुमोदन 02 वर्ष अधिक समय व्यतीत हो चुका है जबकि दिशा निर्देशानुसार 06 माह मे प्लान तैयार किया जाना है।

वित्तीय वर्ष 2016–2017 में शहरी पथ विक्रेता प्लान तैयार किये जाने वाले 16 शहरों (बरेली, मऊ, मथुरा, जौनपुर, लोनी, बुलन्दशहर, उन्नाव, हापुड, शांहजहांपुर, सम्भल, मिर्जापुर, फैजाबाद, अमरोहा, हरदोई, फतेहपुर एवं उरई) में शहरी पथ विक्रेता प्लान तैयार किये जाने हेतु एजेन्सी का अनुमोदन हुये लगभग 09 माह से 16 माह तक का समय व्यतीत हो चुका है जबकि दिशा निर्देशानुसार 06 माह मे प्लान तैयार किया जाना है।

उक्त 30 शहरों के शहरी पथ विक्रेता प्लान की प्रगति के संबंध में मुख्यालय स्तर पर दिनांक 09.02.2018 को आयोजित समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त संख्या– 962/241/तीन/एनयूएलएम/ 2001(एसयूएसवी) दिनांक 20.02.2018 एवं प्रमुख सचिव, महोदय की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा दिनांक 23.02.2018 द्वारा की गई समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त संख्या–1008/241/तीन/एनयूएलएम/2001(एसयूएसवी) दिनांक 15.03.2018 के द्वारा शहरी पथ विकेता प्लान को तैयार किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों के कम में उक्त सभी 30 शहरों से अपेक्षा है कि राज्य स्तरीय परियोजना स्वीकृति समिति के अनुमोदनार्थ हेतु शीघ्र प्लान उपलब्ध कराये जायें।

उक्त सभी शहरों को पुनः स्पष्ट किया गया कि एजेन्सी द्वारा सर्वेक्षित सभी पथ विक्रेताओं का बायोमैट्रिक सर्वे आवश्यक है। सर्वे के साथ पथ विक्रेताओं का आधार कार्ड नं0 एवं मोबाइल नं0 अवश्य लिया जाय, जिसके संबंध में निर्देश जारी किये जा चुके है। जिन शहरों में कुछ पथ विक्रेताओं के आधार कार्ड नं0 एवं मोबाइल नं0 सर्वे के दौरान प्राप्त नही हो पाये है, उन पथ विक्रेताओं के आधार कार्ड नं0 एवं मोबाइल नं0 प्राप्त करने हेतु कैम्पों, बैठको आदि का आयोजन किया जाये, जिन पथ विकेताओं के आधार एवं मोबाईल नं0 नही प्राप्त हो पाते है उनके पंजीकरण/आई कार्ड जारी करने के समय आधार एवं मोबाइल नं0 अनिवार्य रुप से लिये जाये और डाटाबेस में प्रविष्टि की जाय।

भारत सरकार के आदेशानुसार DAY-NULM के अन्तर्गत सभी लाभार्थियों का आधार नं0 होना अनिवार्य है। जिन पथ विक्रताओं के पास आधार कार्ड नही है, उनके आधार कार्ड बनवाने मे सहायता की जाय और आधार कार्ड संख्या अवश्य अंकित की जाय। नगर पथ विक्रय समिति के माध्यम से उन्हें पथ विक्रय प्रमाण पत्र, परिचय पत्र, आदि भी जारी करवाने की कार्यवाही की जाय। सिटी स्ट्रीट वेंडिग प्लान योजना प्राधिकारी (विकास प्राधिकरण आदि) के परामर्श और टाउन वेडिंग कमेटी की सिफारिश पर नगर निगम/नगर पालिका परिषद द्वारा बनाये जाने का प्राविधान है। पथ विकेता प्लान को पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ क्रिय विनियमन) अधिनियम 2014, पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ क्रिय विनियमन) नियमावली 2017, उ0प्र0 पथ विक्रेताओं हेतु योजना 2016 तथा दीनदयाल अन्त्योदय योजना– राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक पथ विक्रेताओं को सहायता के प्रचालनात्मक दिशा निर्देशों के अनुरुप तैयार किया जायेगा। मॉडल प्लान एवं DIP के संबंध में विवरण वेबसाइट पर अपलोड है।

SEP – DAY-NULM के घटक स्वरोजगार कार्यक्रम (SEP-I) के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया कि विगत वर्ष इस घटक के अन्तर्गत समूहों का बैंक लिंकेज एवं समूह ऋण की प्रगति अपेक्षा के अनुरूप नहीं थी, इस लिए इन दो उपघटकों पर अभी से विशेष ध्यान दिया जाय तथा शत–प्रतिशत लक्ष्य पूर्ति की जाय। पूर्व में बैंक लिंकेज के सम्बन्ध में दिये गये निर्देश कि सभी सी0ओ0 02 समूहों का बैंक लिंकेज तथा सभी सी0एम0एम0 05 समूहों का बैंक लिंकेज प्रत्येक माह करायेंगे। उक्त निर्देश इस वित्तीय वर्ष में भी लागू रहेगा तथा तदानुसार ही आगामी बैठक में समीक्षा की जायेगी। वार्षिक लक्ष्यों के निर्धारण में प्रत्येक जनपद के लक्ष्य को 25 प्रतिशत बढ़ाकर, कार्य योजना माह–वार बनाकर, उसकी पूर्ति सुनिश्चित की जाए। लक्ष्यों की पूर्ति हेतु विशेष रणनीति बनाकर कार्य किया जाए। परियोजना अधिकारी स्वयं बैंकें से सम्पर्क कर लक्ष्य पूर्ति मे आ रही कठिनाइयों का सम्यक समाधान सुनिश्चित कराएं।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)–सबके लिये आवास –

1. सभी परियोजना अधिकारियों को निर्देशित कराया गया कि वे अपने जनपद में तैनात/नामित सहायक अभियंता/अवर अभियंता का भी प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत कार्यों में सहयोग प्राप्त करें तथा उसका अनुश्रवण भी करें।
2. सभी नव नियुक्त सिविल इंजीनियर (सी0एल0टी0सी0) को निर्देशित किया गया कि वे मुख्यालय से प्रशिक्षण प्राप्त कर प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत दिशा–निर्देशों का पूर्णतः अध्ययन कर जनपद स्तर पर परियोजना अधिकारी एवं संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए कार्यों में गति प्रदान करें।
3. समीक्षा बैठक में लाभार्थी सूची में पाये गये अपात्र आधार कार्डो की गहन समीक्षा की गयी एवं समस्त सी0एम0एम0 को निर्देशित किया गया कि वे पांच दिवस के अन्दर सभी अपात्र आधार कार्डो की जांच/सत्यापन अपने स्तर से करते हुए लाभार्थी सूची को अन्तिम रूप प्रदान करने हेतु परियोजना अधिकारियों को प्रस्तुत करें।
4. सभी परियोजना अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि वे अपने जनपद में गठित योग्य स्वयं सहायता समूहों को भी लाभार्थी चयन प्रकिया में सम्मिलित करें।
5. समीक्षा बैठक में उपस्थित सभी कन्सलटेन्टस को निर्देशित किया गया कि जितने लाभार्थियों का जियो टैग हो चुका है उनकी पत्रावली एक सप्ताह के अन्दर सम्बधित परियोजना अधिकारियों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें जिससे लाभार्थी को प्रथम किस्त का भुगतान करने की प्रकिया प्रारंभ की जा सके।
6. सभी परियेाजना अधिकारियों/कन्सलटेन्टस को निर्देशित किया गया कि वे आगामी 7 दिवस में चयनित पात्र लाभार्थियों का विवरण पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल पर ''एक लाख लाभार्थियों को सिंगल क्लिक में सब्सिडी लाभार्थी के खाते में अन्तरित किये जाने हेतु'' हाई लेविल अथोर्टी के माध्यम से सूडा मुख्यालय को अग्रसारित करना सुनिश्चित करें तथा जहॉ प्रथम किश्त की धनराशि अन्तरित की जा चुकी है एवं कार्य लिन्टल लेविल तक पहुंच गया है वहॉ द्वितीय किश्त की धनराशि नियमानुसार अन्तरित किये जाने की कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाये।
7. प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत प्रशासनिक व्यय के संबंध में निर्देश दिये गये कि योजनान्तर्गत किये गये प्रशासनिक व्यय का अलग से बिल बाउचर संकलित करें तथा उसका अलग से लेखांकन किया जायें, जिसकी प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। उक्त धनराशि की जनपद स्तर पर तैयार की जाने वाली बैलेंस सीट में अलग से इट्री की जायें। सम्बधित बिल बाउचर की छायाप्रति प्रत्येक माह की 7 तारीख तक मदवार विवरण के साथ संलग्न कर एस0एल0टी0सी0 की ई–मेल आइ.डी. पर भेजना सुनिश्चित करें।

8. प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत अधिकांश परियोजना अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि संबंधित संस्था के कन्सलटेन्ट द्वारा जनपद स्तर पर किये गये कार्यों से उन्हें अवगत नहीं कराया जा रहा है तथा संस्था के प्रतिनिधि परियोजना अधिकारियों के सम्पर्क में नहीं रहते हैं। इस प्रकरण पर घोर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी तथा समस्त संस्था के प्रमुख को निर्देशित किया गया कि वे जनपद/निकाय स्तर पर किये गये कार्यों से परियोजना अधिकारियों लगातार अवगत करायें तथा नियमित रूप से उनके सम्पर्क में रहें।

9. सभी परियोजना अधिकारियों को निर्देशित कराया गया कि वे अपने जनपद की सभी निकायों के बी0एल0सी0 घटक को मासान्त तक संतृप्त कराना सुनिश्चित करें।

10. जिन निकायों में प्रमाणीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है, उन निकायों के प्लान ऑफ एक्शन जनपद स्तरीय निगरानी समिति से कराने से पूर्व लाभार्थियों के समस्त प्रपत्र प्राप्त कर लें।

11. समस्त संस्था के प्रतिनिधियों को निर्देशित किया गया कि ऑनलाइन तथा ऑफलाइन आवेदन पत्रों का निकायवार अलग–अलग बन्डल बनाते हुए परियोजना अधिकारी को उपलब्ध कराये एवं सूडा मुख्यालय को भी अवगत करायें।

12. निर्देशित किया गया कि किसी भी कन्सलटेन्टस (HFA-POA/DPRPMC) द्वारा कोई भी लाभार्थी निरस्त नहीं किए जायेगें, बल्कि निरस्त किये जाने वाले लाभार्थियों की सूची कारण सहित परियोजना अधिकारी को उपलब्ध करायी जायें जिसे परियोजना अधिकारी अपने स्तर से जांच कराते हुए पात्र/अपात्र लाभार्थियों का निर्धारण करते हुये अन्तिम सूची तैयार करायेंगें।

13. सभी परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे सम्बन्धित डीपीआर/पीएमसी कन्सलटेन्ट्स से समन्वय स्थापित करते हुए भुवन पोर्टल पर जिओ टेगिंग का कार्य तीव्र गति से प्रारम्भ कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित परियोजना अधिकारी को अवश्य अवगत कराते हुए सूडा मुख्यालय को भी सूचित करें।

14. सभी परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे प्रतिदिन कार्यों की प्रगति का अनुश्रवण करें। स्वीकृत डी0पी0आर0 के लाभार्थियों का सत्यापन कराते हुए जिओ टेगिंग कर ग्राउण्डिंग का कार्य चरणबद्ध प्रक्रिया के अनुसार तत्काल प्रारम्भ करायें।

(कार्यवाही–संबंधित डूडा/सूडा)

बी0एस0यू0पी0/आई0एच0एस0डी0पी0 योजना–

बी0एस0यू0पी0/आई0एच0एस0डी0पी0 योजनान्तर्गत सभी सम्बन्धित परियोजना अधिकारियों को पूर्ण आवासों के सापेक्ष एक सप्ताह के अन्दर उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं कम्पलीशन सार्टीफिकेट प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त के अतिरिक्त यह भी निर्देशित किया गया कि प्राथमिकता के आधार पर केन्द्रांश की धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र तत्काल सूडा मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जिन परियोजनाओं में आवास पूर्ण हो चुके है तथा आवंटन नहीं हुआ है, परियोजना अधिकारी को निर्देशित किया गया कि उन परियोजनाओं में तत्काल आवंटन कराकर कब्जा आवंटन की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(कार्यवाही सूडा/संबंधित डूडा/कार्यदायी संस्था)

राजीव आवास योजना

राजीव आवास योजनान्तर्गत संबंधित जनपदों एवं कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया गया कि अपूर्ण परियोजनाओं को प्रत्येक दशा 15 दिनों में पूर्ण कराना सुनिश्चित् किया जाये। सम्बन्धित परियोजना अधिकारियों तथा कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया गया कि वे अवमुक्त की गयी प्रथम किश्त की धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर शीघ्र उपलब्ध कराये जिससे कि भारत सरकार से द्वितीय किश्त प्राप्त करने की कार्यवाही पूर्ण की जा सके।

कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 को भी निर्देशित किया गया कि जिन शहरों में निर्माणकार्य बन्द हैं वहां शीघ्र कार्य प्रारम्भ कराए।

(कार्यवाही–सूडा/संबंधित डूडा/कार्यदायी संस्था)

आसरा योजना

- समीक्षा बैठक में कार्यदायी संस्था तथा परियोजना अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि जिन आवासों का निर्माण कार्य प्रगति पर है केवल उन्हीं को पूर्ण किया जाये अनारम्भ आवासों का कार्य प्रारम्भ न किया जाये। उक्त कार्य का नियमित अनुश्रवण करने के भी निर्देश दिये गये।
- समीक्षा बैठक में सभी सम्बधित परियोजना अधिकारी एवं कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया गया कि वे आसरा योजनान्तर्गत ऐसे अनारम्भ/समर्पित आवासों की सूचना जो कि प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत ए.एच.पी.घटक में सम्मिलित किये जा सकते हैं, एक सप्ताह में मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- सभी सम्बधित परियोजना अधिकारियों एवं कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया गया कि जो प्रस्ताव पी0एफ0ए0डी0/ई0एफ0सी0 से स्वीकृत हो चुके है उनकी यू0सी0/निरीक्षण आख्या, 19–कालम रिपोर्ट,फोटोग्राफ आदि सभी कागजात एक सप्ताह में मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

मुख्य मंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना

- समीक्षा बैठक में अवगत कराया गया कि नई संचालित मुख्य मंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना का शासनादेश राज्य सरकार द्वारा जारी किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष में उपलब्ध बजट का सदुपयोग सुनिश्चित करने के दृष्टिगत शीघ्र दिशा–निर्देशों के अनुसार नियमानुसार निर्माण कार्य प्रारम्भ कराना सुनिश्चित करें। **(कार्यवाही–संबंधित डूडा)**

सूचना का अधिकार अधिनियम –2005

मासिक समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त में यह निर्देशित किया गया था कि सभी जनपद के जनसूचना अधिकारी प्राथमिकता के आधार पर जनपदों में प्राप्त आवेदन पत्रों पर समयानुसार आवश्यक कार्यवाही करें, अन्तरण के प्रकरणों को निर्धारित समयावधि के अन्दर सम्बन्धित विभाग को अन्तरित कर दें। जनपदों को यह भी निर्देशित किया गया था कि प्रत्येक माह में प्राप्त आवेदन पत्रों एवं कृत कार्यवाही का विवरण नियमित रूप से अभिकरण मुख्यालय पर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। खेद का विषय है कि जनपदों द्वारा अपेक्षित सूचना प्रेषित नहीं की गयी है। अभिकरण मुख्यालय पर अनापेक्षित प्रथम अपीलों के योजित होने के परिप्रेक्ष्य में यह निर्देश दिये गये कि जनपद स्तर से यथा समय आवेदन पत्रों का निस्तारण न किये जाने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हो रही है। अतः यह निर्देशित किया कि जनसूचना 'अधिकारी प्राथमिकता के आधार पर आवेदन पत्रों का यथा समय निस्तारण करें।

(कार्यवाही–जनसूचना अधिकारी/नोडल अधिकारी जनसूचना, सूडा)

जनसुनवाई (आई0जी0आर0एस0) –

समीक्षा बैठक में **आई0जी0आर0एस0** प्रणाली के अन्तर्गत परियोजना अधिकारियों को जनसुनवाई से सम्बन्धित अन्तरित/लम्बित प्रकरणों को एक सप्ताह में निस्तारण किये जाने के निर्देश दिये गये। जनसुनवाई से सम्बन्धित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के दृष्टिगत सुस्पष्ट आख्या उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही–संबंधित डूडा/सूडा)

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
निदेशक

राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा), उत्तर प्रदेश

पत्रांक– 804/110/तीन/97 Vol-VII दिनांक– 18/05/18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ।
2. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0।
3. निदेशक कैम्प/अपर निदेशक कैम्प वित्त नियंत्रक कैम्प, सूडा।
4. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0।
5. निदेशक, सी एण्ड डी0एस0, जल निगम, उ0प्र0।
6. सूडा के समस्त अधिकारीगण व समस्त पटलप्रभारी को अनुपालनार्थ।
7. समस्त सिटी प्रोजेक्ट आफिसर, एन0यू0एल0एम0 शहर।
8. समस्त परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0।
9. श्री योगेश आदित्य, सहा0परि0अधि0/वेब मास्टर, सूडा को सूडा की वेबसाइट **www.sudaup.org** पर अपलोड करने हेतु।

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
निदेशक